संख्या-192/2016/991/22-2-2016-17(96)/2015

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 07 अक्टूबर, 2016***

विषय:- जिला कारागार, आगरा में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी सन्तू पुत्र श्री शिवराज निवासी-जनपद-मेरठ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17010/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/19-05-2016 दिनांक 01-06-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सन्तू पुत्र श्री शिवराज, निवासी ग्राम-तिगरी, थाना-मवाना, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा मुकदमे बाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 24-04-1999 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल व कट्टे से 02 व्यक्तियों की हत्या की गयी। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-821/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट, मेरठ द्वारा दिनांक 11-03-2005 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भोग रहे है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2015 तक 16 वर्ष 01 माह 14 दिन की अपरिहार एवं 19 वर्ष 04 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, द्वारा अपनी अख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी पूर्व में रंजिश के आधार पर पुन: अपराध कारित कर सकता है। बन्दी पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं पुन: अपराध करने में सक्षम है। बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है। बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी की आयु वर्तमान में 42 वर्ष है, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है बन्दी भविष्य में पुन: अपराध कर सकता है। बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी सन्तू (बन्दी संख्या-1881/05) पुत्र श्री शिवराज, निवासी जनपद-मेरठ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-192/2016/991/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in